

तहसील पौड़ी, थलीसैण तथा चाकीसैण, जनपद पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा उत्तर-प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा यथा संशोधित संख्या- 197/2015/XXVII(9)/स्टाम्प-40/2010 देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2015 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-9 के पत्र संख्या- 161/2016/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 देहरादून दिनांक 10 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद गढ़वाल की तहसील तहसील पौड़ी, थलीसैण तथा चाकीसैण हेतु पूर्व में जारी किए गये सर्किल रेट आदेश संख्या- 01/2016/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 देहरादून दिनांक 02 जनवरी, 2016 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि/भवनों की दरें (सर्किल रेट) निम्नवत् पुनरीक्षित किए जाते हैं। यह दरें 16 जून 2016 से प्रभावी होंगी। इन दरों (सर्किल रेट) का सम्पूर्ण विवरण NIC पौड़ी वेबसाइट pauri.nic.in पर भी उपलब्ध है।

II कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल II

Email : dmgarhiwal@gmail.com ph. 01368-222250 Fax - 222080

पत्रांक : 48 /स्टाम्प / 2016-17 दिनांक पौड़ी 14 जून, 2016

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निवन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- जिला निवन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
- 4- उपजिलाधिकारी पौड़ी, थलीसैण तथा चाकीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 5- उपनिवन्धक पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 6- तहसीलदार पौड़ी, थलीसैण तथा चाकीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय प्रति।

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल

क्र.सं	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर ----- (BASE RATE)											
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हैक्टर पर लाख ₹०० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० ₹०० में)			बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर ₹०० में)		वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर ₹०० में)		गैर-वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर ₹०० में)	
				0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		वाटिकार मार्ग पर घोपडा गांधी से मालरोडक होते हुये नये बस स्टेशन तक ग्राम पीडी, काण्डई, चोपा, बजगाडी		819600	785450	751300	2650	2609	2495	14500	42000	35325	11760	10800	
2		बस स्टेशन से धारा रोड क्रमही अपर बाजार होते हुए एजेन्सी तक ग्राम पीडी, काण्डई, चोपा		819600	785450	751300	2650	2609	2495	14500	42000	35325	11760	10800	
3		धारा रोड के मस्त / निचला बाजार डाकघर के पीछे वाली सड़क सहित जेल गांधी तक ग्राम पीडी		819600	785450	751300	2650	2609	2495	14500	42000	35325	11760	10800	
4		स्टेशन से श्रीनगर रोड से होते हुये प्रेमनगर द्वारा तक		819600	785450	751300	2650	2609	2495	14500	42000	35325	11760	10800	
5		एजेन्सी से कण्डोलिया रोड पर कण्डोलिया बाजार तक		819600	785450	751300	2650	2609	2495	14500	42000	35325	11760	10800	
6		कोटद्वार मार्ग पर घोपडा गांधी से गल्ला गोदाम गांधी तक		819600	785450	751300	2120	2086	1995	14000	40000	34233	11760	10800	

7	नये बस स्टेशन से देवप्रयाग मार्ग नगर पालिका की अन्तिम सीमा तक	819600	785450	751300	2120	2086	1995	14000	40000	34233	11760	10800
8	कण्डोलिया मैदान से डिग्री कालेज / बिकास कायालय वाली सड़क तक	819600	785450	751300	2120	2086	1995	14000	40000	34233	11760	10800
9	एजेन्सी से उपरितलाधिकारी निवास वाली चौप रोड तक	819600	785450	751300	2120	2086	1995	14000	40000	34233	11760	10800
10	बुवाखाल से माण्डाखाल की आखिरी सीमा पानी छिर्ग रोड तक	819600	785450	751300	2120	2086	1995	14000	40000	34233	11760	10800
11	बुवाखाल से कण्डोलिया मोटर मार्ग	819600	785450	751300	1125	1105	1057	13000	33000	32186	11760	10800
12	रासी से बगुनालेखर मोटर मार्ग	819600	785450	751300	1125	1105	1057	13000	33000	32186	11760	10800
13	कण्डोलिया से साकिट हाउस मोटर मार्ग	819600	785450	751300	1125	1105	1057	13000	33000	32186	11760	10800

तहसील पौड़ी के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची(सर्किल रेट)

1	प्रमनगर द्वार से गडौली नगर पालिका की अन्तिम सीमा तक	819600	785450	751300	1125	1105	1057	13000	30000	29666	11760	10800
2	पौड़ी त्वाली मोटर मार्ग पर नगर पालिका की आखिरी सीमा तक	819600	785450	751300	1125	1105	1057	13000	30000	29666	11760	10800
3	जेल गधरेसे घाँवा गांव नरसिंह धारा पैदल मार्ग नगर पालिका सीमान्तर्गत	819600	785450	751300	1125	1105	1057	13000	30000	29666	11760	10800
4	बुवाखाल के निकट से पौड़ी - श्रीनगर बाईपास (गडौली बाईपास) मोटर मार्ग	819600	785450	751300	700	687	657	12500	30000	28795	11760	10800
5	सलवाखाल औप मार्ग नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत	819600	785450	751300	700	687	657	12500	30000	28795	11760	10800
6	गल्ला गौदाम गधरे से बुवाखाल बाजार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत	819600	785450	751300	1835	1807	1729	13600	32000	31132	11760	10800
7	ग्राम धुनरी लगा छोटा बगै बाजार अधिसूचित क्षेत्र	819600	785450	751300	1205	1189	1137	13000	22500	21921	11760	10800

तहसील पाँड़ी के अन्तर्गत विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट)

1	पुढनीडी, कटुख, ल्याली, लंगा भेटा, ल्याली, पार्वा केरनीखाल, अगरोडा	785450	751300	717150	386	369	352	11700	14572	11122	11270	10350
2	सड़क के दोनों ओर की भूमि विशिष्ट ग्राम बारहसू, तहसील पाँड़ी - डोम श्रीकाट, बुआखाल, नगर पालिका छोडकर, मासी, डाण्डापानी, खोलाचोरी, कोट महादेव टेका, कांसखेत, धर्मिदयाल बनेछ, अदवाणी, नाहसीण बगानीखाल	785450	751300	717150	380	364	347	11700	14561	11111	11270	10350
3	तहसील पाँड़ी के अन्तर्गत विशिष्ट ग्रामों को छोडकर समस्त मोटरमार्ग की भूमि	785450	751300	717150	312	299	285	11100	13798	10498	10780	9900

तहसील पाँड़ी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची

1	तहसील पाँड़ी के अन्तर्गत सम्यक जीम टिक मार्ग	751300	737640	717150	165	162	157	12500	12916	12500	12300	9900
2	तहसील पाँड़ी के अन्तर्गत अन्य समस्त राजस्व ग्राम	751300	737640	717150	74	73	71	11000	13530	10030	10780	9900

तहसील थलीसेण के अन्तर्गत विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट)

1	कपरोली मोटरमार्ग पर सड़क के दोनों ओर की भूमि	751300	737640	717150	391	384	373	11300	13983	10683	10780	9900
2	तहसील थलीसेण के अन्तर्गत ग्राम कैन्दूर सड़क के दोनों ओर की भूमि	751300	737640	717150	482	483	470	11300	14185	10885	10780	9900
3	तहसील थलीसेण के उपनिबन्धक पाँड़ी के क्षेत्रान्तर्गत मोटरमार्ग पर पड़ने वाली भूमि	751300	737640	717150	312	306	298	11300	13824	10524	10780	9900

तहसील धलीसैण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची(सर्किल सेट)

4	तहसील धलीसैण के उपनिबन्धक पांडी के क्षेत्रांतर्गत समस्त जीपमार्ग / मोटरमार्ग पर पड़ने वाली भूमि	751300	737640	717150	173	170	165	11300	13547	10247	10780	9900
5	तहसील धलीसैण के अन्तर्गत समस्त राजस्वग्राम जो कि उपनिबन्धक पांडी के क्षेत्रांतर्गत है।	751300	717150	683000	173	170	165	11300	13547	10247	10780	9900

तहसील चाकीसैण के अन्तर्गत विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची(सर्किल सेट)

1	पैठाणी, पैठाणी बाजार की सीमा से सटे ग्राम सेरा, बसकोट, बहेडी लठ सिखोला, सिलोली, डाग लठ भटकोट सड़क के दोनों ओर की भूमि	751300	737640	717150	400	393	382	11300	14000	10700	10780	9800
2	तिरपाणीसैण, भटकोट, चाकीसैण, चोरा मजरा महरादेव	751300	737640	717150	391	384	373	11300	13983	10683	10780	9800

तहसील चाकीसैण के अन्तर्गत मोटर मार्ग पर स्थित ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन सूची(सर्किल सेट)

3	तहसील चाकीसैण के अन्तर्गत ग्राम बाजकोट, सिमरी नलई सड़क के दोनों ओर की भूमि	751300	737640	717150	343	336	327	11300	13886	10586	10780	9800
4	तहसील चाकीसैण के उपनिबन्धक पांडी के क्षेत्रांतर्गत मोटरमार्ग पर पड़ने वाली भूमि	751300	737640	717150	343	336	327	11300	13886	10586	10780	9800
5	तहसील चाकीसैण के अन्तर्गत समस्त राजस्व ग्राम जो कि उपनिबन्धक पांडी के क्षेत्रांतर्गत है।	751300	737640	717150	71	70	68	11300	13343	10045	10780	9900


 (चन्द्र शेखर भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है :-

नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानित आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में ह्रास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :- $D = P(1 - RD/100)^N$

$RD = \frac{\text{भवन की औसत आयु}}{100}$

100

D = ह्रास मूल्य (Depreciated Value)		P = वर्तमान मूल्य		N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)	
1 वर्ष	0.990	26 वर्ष	0.770	51 वर्ष	0.598
2	0.980	27	0.762	52	0.592
3	0.970	28	0.754	53	0.587
4	0.960	29	0.747	54	0.581
5	0.950	30	0.739	55	0.575
6	0.941	31	0.731	56	0.569
7	0.932	32	0.724	57	0.563
8	0.927	33	0.717	58	0.558
9	0.913	34	0.710	59	0.552
10	0.904	35	0.703	60	0.547
11	0.890	36	0.696	61	0.541
12	0.880	37	0.689	62	0.536
13	0.870	38	0.682	63	0.530
14	0.868	39	0.675	64	0.525
15	0.860	40	0.668	65	0.518
16	0.851	41	0.662	66	0.515
17	0.842	42	0.655	67	0.509
18	0.834	43	0.649	68	0.504
19	0.826	44	0.642	69	0.499
20	0.817	45	0.636	70	0.494
21	0.809	46	0.629	71	0.489
22	0.801	47	0.623	72	0.484
23	0.793	48	0.617	73	0.480
24	0.785	49	0.611	74	0.475
25	0.777	50	0.605	75	0.470

सामान्य अनुदेशिका

1-	यह मूल्यांकन सूची का भाग है।
2-	विलेख में सम्मति/भूमि का नगर पालिका खाता सं०/बन्दोबस्त सं०/खसरा सं०/खेवट सं०/राजस्व ग्राम तथा प्रमुख मार्ग/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित की जानी तथा सम्मति के चिन्हीकरण हेतु यांछित तथ्य अंकित किए जाने अनिवार्य होंगे। विलेख के द्वारा अन्तर्गत सम्मति/भूमि की चौहद्दी भी अंकित की जानी अनिवार्य होगी।
3-	कृषि भूमि का मूल्यांकन किए जाने सम्बन्धी मानक (Paramater):- (1) कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि- (1) कृषि भूमि 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 05 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (2) कृषि भूमि 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (3) कृषि भूमि 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (2) 0.1 हैक्टर (1000 वर्गमीटर) से कम कृषि भूमि के अन्तर्ण पर उक्त श्रेणी में अकुषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी। (3) जनपद के केवल पर्वतीय क्षेत्रों में तपु कारतकारों के हितार्थ अकुषक भूमि की न्यूनतम सीमा को 500 वर्गमीटर किया जाता है।
4-	अकुषि भूमि का मूल्यांकन किए जाने सम्बन्धी मानक (Paramater):- अकुषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि - (1) अकुषि भूमि 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 05 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (2) अकुषि भूमि 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (3) अकुषि भूमि 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
5-	बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय परलैट के मूल्यांकन किए जाने सम्बन्धी मानक (Paramater):- (1) बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय परलैट का मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा। (2) बहुमंजिली इमारतों के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित बहुमंजिली इमारतों हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि- (1) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 05 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (2) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। (3) बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

6-	(1) वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान का मूल्यांकन किए जाने सम्बन्धी मानक (Parameter):-	
	(1)	बहुमंजिली इमारत / व्यवसायिक सम्पत्ति जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 05 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
	(2)	बहुमंजिली इमारत / व्यवसायिक सम्पत्ति जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
	(3)	बहुमंजिली इमारत / व्यवसायिक सम्पत्ति जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
7-	वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।	
8-	शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुलमंजिली व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगन्धित मूल्यांकन में क्रमशः-10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगन्धित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।	
9-	ऐसी दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किए जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की दो गुनी दर के आधार पर आकलित किया जायेगा।	
10-	व्यवसायिक सम्पत्ति के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत जोड़कर आकलित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी।	
11-	छोटें दुकानदरों के हितार्थ एकल व्यवसायिक सम्पत्तियां जो कि शॉपिंग मॉल / कॉम्प्लेक्स का भाग नहीं हैं, में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से लगाया जाता है।	
12-	उद्योगों की स्थापना किए जाने एवं उनके निर्माण की लागत कम आने के दृष्टिगत औद्योगिक निर्माण की दर टीन पोश / द्वितीय श्रेणी निर्माण हेतु निर्धारित दर के समान की जाती है।	
13-	उत्तर-प्रदेश विलत निगम, उत्तर-प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, आवागिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिविलियन तथा अन्य राजकीय संस्थाओं / निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियाँ हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित / अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निर्मादित किए गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख पत्र में किया जाना अनिवार्य होगा।	
14-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख / मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र कर सम्पत्तियों के अन्तर्गत विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख / मुख्य मार्गों के दोनों ओर की दूरी का मानक जिला स्तर पर जिले के कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।	
15-	कृषि या अकृषिक भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किए जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की दो गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आकलित दर से होगा।	
16-	किस्ती भी प्रकार की भूमि / आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि / आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर माननी जायेगी।	
17-	बहुमंजिलीय आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट / बहुमंजिलीय वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिलीय आवासीय परिसर बहुमंजिलीय वाणिज्यिक भवन के परिवर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर माननी जायेगी।	

18-	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के आवासीय / औद्योगिक / गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकृति प्राधिकारी / संस्था / विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त विलेख में मूल्यांकन क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्रफल अंकित किए जाने के साथ भवन का स्वीकृत मानचित्र / मान्यताप्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र लगाया जाना तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी (लेण्टर पोस), द्वितीय श्रेणी (टीन पोश) अथवा पल्टेडस का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
19-	पल्टेड का तात्पर्य उत्तर-प्रदेश ओनरशिप ऑफ पल्टेड एक्ट 1975 के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
20-	भूमि / सम्पत्ति के अन्तर्ण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कॉलोनी की दशा में सम्बन्धित कॉलोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति का मूल्यांकन कॉलोनी / क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि / सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कॉलोनियां / मोहल्लों / क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
21-	वाणिज्यिक / अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई भास मूल्य देय नहीं होगा।
22-	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य भास (जिसकी क्षरण सारिणी सतान है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। पल्टेडों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
23-	वाउण्ड्रीवाल के स्थित होने पर रुपये 1000/- रनिंग भीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
24-	भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन जिला स्तर पर जिले के कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जो कि 10,000/-रु0 निर्धारित है।
25-	टीन पोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
26-	किरसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तर्ण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नेमेन्ट एण्ड्रूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
27-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग / क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दर एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।
28-	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दर निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हैव निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
29-	मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हैव विलेखों में अंकित किए जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा -
(I)	किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभावता या उस पर प्रभाव शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
(II)	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि / सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
(III)	विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति के कृषि / आवासीय / अनावासीय / व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
(IV)	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1-टुकान, 2- रेस्टोरेन्ट, 3- कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर-प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आछादित हों, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
(V)	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या / बन्देबस्त संख्या / खेवट संख्या / राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हैव वांछित तथ्य विलेख के द्वारा अन्तरित अकृषि भूमि / सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं रूरी में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख / मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
(VI)	विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क - सड़कों / मार्ग / मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
(VII)	मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिये गये उन भवनों से हैं, जहां से उन कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यालयों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर-प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।
(VIII)	पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ विलेख के साथ सतान किया जाना अनिवार्य होगा, जो विलेख का भाग माना जायेगा।

30-	सम्पत्ति की सीमा में उत्प्रेषित सड़क की चौड़ाई तथा सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों इतर अन्य मुख्य सड़क का तात्पर्य लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्य कार्यदायी विभाग द्वारा निर्मित मुख्य मार्ग के मानक से होगा।
31-	व्यवसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकान के प्रतिवर्गमीटर किराये निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा। जिसके लिए मूल्यांकन प्रतिवर्गमीटर मासिक किराया जो कि प्रत्येक क्षेत्र के आगे अंकित है X निर्मित क्षेत्रफल X 300 + भूखण्ड की उच्चतम अदृशिक सर्किल दर के दो गुने के मूल्यांकित मूल्य का योग होगा।
32-	तहसील के ग्रामीण क्षेत्र तथा अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा से बाहर स्थित हैं) में बाग विक्रय होने सम्बन्धी प्रलेख पर सिंचित भूमि की दर की डेढ़ गुनी दर प्रभावी होगी। नगरीय क्षेत्र एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों (जो कि नगर सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं) में बाग विक्रय होने सम्बन्धी प्रलेख पर क्षेत्र विशेष की वर्गमीटर में निर्धारित न्यूनतम दरों की डेढ़ गुनी दर लागू होगी। यदि जनपद में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति/कृषि भूमि पर यदि वृक्ष स्थित हों एवं वह बाग के रूप में प्रख्यापित न हो तो उन प्रकारों में वृक्षों का मूल्यांकन अलग से अंकित किया जायेगा।
33-	तहसील के किसी भी क्षेत्र में विलेख के माध्यम से यदि 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि संयुक्त क्रेतागण द्वारा क्रय की जाती है एवं उनके भागानुसार प्रत्येक क्रेता के भाग में 1000 वर्गमीटर से कम भूमि आती है तथा क्रेतागण के मध्य पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन तथा नाती-पोती के सम्बन्ध न हो तो ऐसे विलेख पर प्रवृत्त क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित वर्गमीटर की दर ही प्रभावी होगी।
34-	निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्सम्बन्धी निर्देश अलग से निर्गत किए जायेंगे।


 (चन्द्र शेखर भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा उत्तर-प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा यथा संशोधित संख्या- 197/2015 / XXXVII(9)/स्टाम्प-40/2010 देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2015 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-9 के पत्र संख्या- 161/2016 / XXXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 देहरादून दिनांक 10 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद गढ़वाल की तहसील तहसील श्रीनगर हेतु पूर्व में जारी किए गये सर्किल रेट आदेश संख्या- 01/2016 / XXXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 देहरादून दिनांक 02 जनवरी, 2016 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि/भवनों की दरें (सर्किल रेट) निम्नवत् पुनरीक्षित किए जाते हैं। यह दरें 16 जून 2016 से प्रभावी होंगी। इन दरों (सर्किल रेट) का सम्पूर्ण विवरण NIC पौड़ी वेबसाइट pauri.nic.in पर भी उपलब्ध है।

॥ कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल ॥

Email : dmgarhwal@gmail.com ph. 01368-222250 Fax - 222080

पत्रांक : ५४ /स्टाम्प / 2016-17 दिनांक पौड़ी 14 जून, 2016

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
- 4- उपजिलाधिकारी श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 5- उपनिबन्धक श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 6- तहसीलदार श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय प्रति।

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / रा- जस्व ग्रामों के नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर ----- (BASE RATE)											
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हैक्टेयर लाख रु० में)	प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में))			बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)	नगर-वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर रु० में)					
					0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक			0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	प्रथम श्रेणी (एकका)	द्वितीय श्रेणी (सेमी एकका / कच्चा)	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		भलगांव, कोठरू, पुराना श्रीनगर, उलमसिंह वाला		695520	591192	532073	5300	4660	3240	15740	46600	41600	10440	9600	
2		कोटबूला, सुनारगांव, रैवडी, काण्डहू, श्रीकोट गंगानाली, फतेपुर रैती		695520	591192	532073	4020	3730	3380	14460	44000	39200	10440	9600	

(चन्द्र शंकर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्राम की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)										
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हैक्टेयर लाख रु० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में)			बहुमंजिली व स्थित आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)		गैर-वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर रु० में)	
				0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		डुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (एकका)	द्वितीय श्रेणी (संजी एकरा/कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		1- उफल्डा, 2. डोग, देवापा		696520	591192	532073	2702	2565	2468	12700	36605	36455	10005	9200
2		1. नकोट, 2. बैरगांव, 3. कोटरखर, 4. स्वीत		696520	591192	532073	1284	1236	1181	11300	37088	33538	10005	9200
3		खुल्डाह, घडली, कलियासाह, डंढरीभर, भट्टीसेरा - श्रीनगर - पौड़ी मोटरमार्ग, ऋषिकेश - बदीनाथ मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम, ग्रामीण मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम - दहलवीरी, गवाह, डिर्न, पौखरी उपरोक्त वर्गीकृत श्रेणीयों के अलावा अन्य किसी भी मोटरमार्ग पर पड़ने वाले ग्राम		696520	591192	532073	460	440	420	10465	365200	31970	10005	9200

तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

सामान्य दर (BASE RATE)														
क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्राम की श्रेणी	क्षेत्र	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टरवार लाख रु० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में)			वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)			गैर-वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर रु० में)		
			0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	वाणिज्यिक भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु० में)	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		तहसील श्रीनगर के ग्राम भलगांव, कोठल, पुसाना श्रीनगर, उत्तमसिंहवाला, कोटपूला, सुनारगांव, रेवड़ी, कापड़रू, श्रीकोट गगानावाली, उकलड़ा डीग ऐठाना, नकोट, वैद्यगांव, कोटेश्वर, स्वीता, फतेहपुरदेवी, को छोड़कर सभी शेष ग्राम से सम्बन्धित।		69520	591192	532073	385	378	368	9955	33770	30470	9570	8800

तहसील श्रीनगर के ग्राम भलगांव, कोठर, पुराना श्रीनगर, उत्तमसिंहवाला, कोटपूला, सुनारगांव, रेतड़ी, कापड़र, श्रीकोट गंगानाली, उकल्डा जंग देवाना, नकोट, वैद्यगांव, कोटेश्वर, स्वीत, फतेहपुरेती, को छोड़कर सभी शेष ग्राम से सम्बन्धित।

तहसील लैन्सडौन, धुमाकोट, सतपुली, चौबट्टाखाल, थलीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा उत्तर-प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा यथा संशोधित संख्या- 197/2015 / XXXVII(9)/स्टाम्प-40/2010 देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2015 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा सविध विल, उत्तराखण्ड शासन विल अनुभाग-9 के पत्र संख्या- 161/2016 / XXXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 देहरादून दिनांक 10 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद गढ़वाल की तहसील तहसील लैन्सडौन, धुमाकोट, सतपुली, चौबट्टाखाल, थलीसैण हेतु पूर्व में जारी किए गये सर्किल रेट आदेश संख्या- 01/2016 / XXXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 देहरादून दिनांक 02 जनवरी, 2016 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि/भवनों की दरें (सर्किल रेट) निम्नवत् पुनरीक्षित किए जाते हैं। यह दरें 16 जून 2016 से प्रभावी होंगी। इन दरें (सर्किल रेट) का सम्पूर्ण विवरण NIC पौड़ी वेबसाइट pauni.nic.in पर भी उपलब्ध है।

II कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल II

Email : dmgarhwal@gmail.com ph. 01368-222250 Fax - 222080

पत्रांक : ८४ /स्टाम्प / 2016-17 दिनांक पौड़ी १५ जून, 2016

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

- 1- सविध विल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
- 4- उपजिलाधिकारी लैन्सडौन, धुमाकोट, सतपुली, चौबट्टाखाल, थलीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 5- उपनिबन्धक लैन्सडौन जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 6- तहसीलदार लैन्सडौन, धुमाकोट, सतपुली, चौबट्टाखाल, थलीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय प्रति।


(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल


(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील तैन्सडीन के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र (छावनी परिषद) हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

सामान्य दर ----- (BASE RATE)												
क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति			अकृषि भूमि 51	बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय परत (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रु०	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)		
		मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कैन्ट छावनी क्षेत्र तैन्सडीन कोर्ट, रोड से छपरी भाग से कैन्ट आफिस ई०एम०ई० तक		छावनी परिषद		2775	2680	2660	12450	31194	28170	9676	8991
2	पोस्ट आफिस के पीछे वाली गली मुख्य बाजार की सड़क		छावनी परिषद		2910	2850	2790	12580	31460	28436	9676	8991
3	गाँधी चौक, मयूर सिनेमा, ईयर लाईन, डिग्री लाईन, कैन्ट स्कूल तक		छावनी परिषद		2775	2680	2660	12450	31194	28170	9676	8991
4	कालेश्वर रोड, वकील मोहल्ला रोड, गाँधी चौक से सेवा योजना कार्यालय तक		छावनी परिषद		2775	2680	2660	12450	31194	28170	9676	8991

तहसील लैन्सडौन के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

सामान्य दर ----- (BASE RATE)												
क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	प्रमुख मार्ग पर स्थित			प्रमुख मार्ग पर स्थित			बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर	गैर-वाणिज्यिक भवन की दर	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)	
		0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गुमखाल, वैलूसैण, सिलोनी, देवीखेत, कीर्तिखाल, मण्डखाल, झारीखाल	3896200	3771260	3584504	425	420	390	10100	14557	14221	9676	8991
2	सकमुण्डा, मौखाल, औडल, खुण्डोली, रणेहाट लगगा मजीना, मजीना	5667200	5630929	5213284	625	610	560	10310	14909	14573	9676	8991
3	करसूला, जहरीखाल, जहरी, डेरीखाल, बाडियू पालकोट, बिलिनी, गोयूँ जदला, बिलासू दर्था	6776000	6732633	6233920	710	705	650	10380	15079	13399	9676	8991
4	बंजा देवी, काण्डा नाला	3253468	3098541	2869020	369	351	325	10045	14427	14091	9676	8991

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल



तहसील लैन्सडौन के अन्तर्गत विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

सामान्य दर ----- (BASE RATE)													
क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	प्रमुख मार्ग पर स्थित			प्रमुख मार्ग पर स्थित			बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर	गैर-वाणिज्यिक भवन की	द्वितीय श्रेणी (स्लिमी पक्का / चकवा)		
		0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	मटियाली लगगा, मलेधा, भयारू (देवीखाल से कनमटोलिया तक)	3726800	3663940	3577720	390	375	350	10105	16885	14533	9676	8991	
2	सिलवाड़, सैधीखाल से रथुवाढाव तक, डेरियाखाल से धिरौली तक, मौखाल से जखणीखाल तक, रथुवाढाव से काण्डा नाला तक, रथुवाढाव से देवियाखाल तक, चुण्डई से ढौसी सैधीखाल तक	3794500	3634190	3542770	400	385	350	10075	12530	12194	9676	8991	
3	डेरियाखाल से बिलगी तक लैन्सडौन से गुमखाल तक,	3967040	3813020	3708350	428	400	390	10100	12602	12266	9676	8991	
4	रिखणीखाल से किलवाखाल, वखुलिया खाल से ताडकेश्वर, शिखखाल से कलवाडी, बलूसीण से देवीखाल, रिखणीखाल से खेमाखेत, गुहियलखेत	2926061	2786724	2580300	321	306	283	10000	13670	11990	9676	8991	
5	अन्य ग्रामीण क्षेत्र	694073	661022	612057	78	74	69	9755	10890	11560	9676	8991	

(चन्द्र चोखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

तहसील धुमाकोट के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

सामान्य दर ----- (BASE RATE)													
क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	प्रमुख मार्ग पर स्थित			प्रमुख मार्ग पर स्थित			बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर-वाणिज्यिक भवन की		
		0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	धुमाकोट से खाल्यूडाण्डा, धुमाकोट से भैदावन, दिवाडाण्डा से भरपूर तहसील धुमाकोट तक, सिमडी से पनास तक, गौलीखाल से किमगोडीखाल लिस्टाखेत तक या समस्त लिंक मार्ग	3850000	3791680	3696000	405	380	350	10080	14663	13991	9676	8991	
2	पुनोडी, जामुण, जुई, कालाखण्ड	3118500	3098540	2869020	355	350	325	10050	14091	13419	9676	8991	
3	अन्य सभी ग्रामीण क्षेत्र	694073	661022	612057	78	74	69	9755	10890	10554	9676	8991	

(धनद शंकर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

तहसील सतपुली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर ----- (BASE RATE)										
		प्रमुख मार्ग पर स्थित			प्रमुख मार्ग पर स्थित			बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर-वाणिज्यिक भवन की	
		0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक		दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गुमखाल से चौंसाल तक, सतपुली से भटवाडी, बशीना से बडडा, सतपुली से जणदा देवी, डाण्डामन्डा से मानपुर, सतपुली से बान्धाट, संतुधार से मासौ, बैजरोपानी से कुण्डखाल, सभी लिंक मोटर मार्ग	3850000	3791680	3696000	460	450	440	10135	17015	16007	9676	8991
2	अन्य सभी ग्रामीण क्षेत्र	706926	673263	623392	77	73	68	9740	8536	8200	9676	8991

(पन्ड शैखर भट्टर)
जिलाधिकारी गढ़वाल

तहसील सतपुली के अन्तर्गत अर्द्ध-नगरीय क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर ----- (BASE RATE)										
		प्रमुख मार्ग पर स्थित			प्रमुख मार्ग पर स्थित			वहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
		0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सतपुलीसैण	15338400	15240230	14111325	1570	1500	1445	11250	20027	17003	9676	8991
2	हारीखाल, मदीनवडा, अमोठा, एकरेश्वर, सीटाखाल, संगलकोटी, मैटाकुण्ड, बौसाल, वडडा, खैरासैण, पाटीसैण, चमोलीसैण	3726800	3702940	3428650	370	350	340	10045	13453	12109	9676	8991

(बन्द शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

तहसील चौबटोखा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर ----- (BASE RATE)										
		प्रमुख मार्ग पर स्थित			प्रमुख मार्ग पर स्थित			वहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
		0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पाटीसेण से नौगांवखाल तक, नौगांवखाल से दमदेवल तक, पाटीसेण से मासी तक, नौगांवखाल से सैधार, चौबटोखाखाल से दमदेवल से समस्त लिंक मार्ग	3850000	3786400	3630000	460	455	435	10000	16711	14731	9504	8830
2	विशिष्ट ग्राम नौगांवखाल, चौबटोखाखाल, मन्जगांव, देवराजखाल, गवाडी, सैधियाखाल, चौपडा, पोखडा, दमदेवल, किछू सांसी, मासी, खिलारू,	3850000	3786400	3630000	460	455	435	9965	15686	15026	9504	8830
3	अन्य ग्रामीण क्षेत्र	687874	655118	612260	75	71	67	9575	8384	8054	9504	8830

तहसील थलीसैंण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो /राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर ----- (BASE RATE)										
		कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति			अकृषि भूमि			बहुमंजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट(सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	(सुपर एरिया प्रति वर्ग	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/ कच्चा)
		0-50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	200 मीटर से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बैजराँ से मँढाणाघाट तक, पोखड़ा से बैजराँ, बैजराँ से सिमरा, जोगीगन्डी मार्ग, दीराँखाल-दुनाव मोटर मार्ग तथा समस्त रस्सी लिंक मार्ग	3850000	3786400	3630000	450	425	400	10000	16711	15061	9504	8830
2	विशिष्ट ग्राम दरियालगा सुकई, (बैजराँ बाजार), नौगांव, स्यूसी (स्यूसी बाजार)	3726800	3603150	3367430	378	360	336	9900	13213	11893	9504	8830
3	अन्य ग्रामीण क्षेत्र	675367	643206	601128	74	70	66	9580	8382	8052	9504	8830

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

तहसील कोटद्वार तथा यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा उत्तर-प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा यथा संशोधित संख्या-197/2015/XXXVII(9)/स्टाम्प-40/2010 देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2015 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा सविध विल, उत्तराखण्ड शासन विल अनुभाग-9 के पत्र संख्या-161/2016/XXXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 देहरादून दिनांक 10 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद गढ़वाल की तहसील कोटद्वार तथा यमकेश्वर हेतु पूर्व में जारी किए गये सर्किल रेट आदेश संख्या-01/2016/XXXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 देहरादून दिनांक 02 जनवरी, 2016 को संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि/भवनों की दरें (सर्किल रेट) निम्नवत् पुनरीक्षित किए जाते हैं। यह दरें 16 जून 2016 से प्रभावी होंगी। इन दरों (सर्किल रेट) का सम्पूर्ण विवरण NIC पौड़ी वेबसाइट pauri.nic.in पर भी उपलब्ध है।

II कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल II

Email : dmgarhwal@gmail.com ph. 01368-222250 Fax - 222080

पत्रांक : ५४ / स्टाम्प / 2016-17 दिनांक पौड़ी १५ जून, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- सविध, विल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निवन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- जिला निवन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
- 4- उपजिलाधिकारी कोटद्वार तथा यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 5- उपनिवन्धक कोटद्वार तथा यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 6- तहसीलदार कोटद्वार तथा यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय प्रति।

(चन्द्र शेखर मट्ट)
जिलाधिकारी गढ़वाल

(चन्द्र शेखर मट्ट)
जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील कोटद्वार के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)											
			कृषि भूमि (प्रति हे०) दरें			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर) रू० में			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमी०) रू० में		वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्गमी०) रू० में		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रति वर्गमीटर	
			0-50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	0-50 वर्ग मी० तक	50 वर्ग मी० से 200 वर्ग मी० तक	200 वर्ग मी० से अधिक	घरलैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमी०) रू० में	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (एकका)	द्वितीय श्रेणी (कच्चा)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	क	1-जी०एन० ओ० यू० लिमि० के पेट्रोल पम्प से झण्डाचौक तक 2-झण्डाचौक से गोखले मार्ग तक 3-झण्डाचौक से नजीबाबाद चौराहा तक 4-स्टेशन, रेलवे स्टेशन से झण्डाचौक तक 5-रेलवे स्टेशन से नजीबाबाद चौराहा तक 6-झण्डाचौक से दीप टॉकीज के गेटे तक 7-नजीबाबाद चौराहा से माहेश्वरी पेट्रोल पम्प तक 8-झण्डाचौक से गंगादल जोशी मार्ग के तिराहा तक 9-गैरेज मार्ग के तिराहा से राष्ट्रीय राजमार्ग तक 10-हनुमान मन्दिर से माल गोदाम रोड होते हुए झूलापुल तक	नगरीय	-	-	-	7000	6500	6000	19000	46000	41000	12000	10000


 (चन्द्र शेखर भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल

2.	ख	1- तालपुल से टाटा के समीप जी०एच०ओ०यू०लि०मि० के पेट्रोल पम्प तक 2- विकास नगर तिराहा से खो नदी तक	नगरीय	-	-	-	6000	5500	5000	18000	45000	40000	12000	10000
3	ग	1-माहेश्वरी पेट्रोल पम्प से कौड़िया बैक पोस्ट तक 2-देवीरोड के गदरे से तड़ियालबाँक तक 3-देवी मन्दिर से (बालासौड) नजीबाबाद रोड तिराहे तक (कौड़िया)	नगरीय	-	-	-	2400	2300	2100	14400	40000	35000	12000	10000
4	घ	1-तड़ियाल बाँक से सुखरौ नदी के पुल तक 2-कौड़िया से बी०ई०एल०कैकरी तक	अर्ध-नगरीय	220	200	180	2300	2200	2000	14300	35000	30000	12000	10000
5	ङ.	1- सुखरौ पुल से मालन नदी के पुल तक 2-बी०ई०एल० कैकरी से सुखरौ पुल तक	अर्ध-नगरीय	200	150	130	1700	1600	1500	13700	32000	28000	12000	10000


 (चन्द्र शेखर भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों की न्यूनतम दरें
(नगरपालिका परिषद् कोटद्वार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/ मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/ राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)										
				कृषि भूमि (प्रति हे०) दरें			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रतिवर्ग मीटर) रू० में			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रू० में	वाणिज्यिक भवन (सुपर प्रतिवर्गमी०) रू० में	एरिया प्रतिवर्गमी० रू० में	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रतिवर्गमीटर	प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी (कच्चा)
				0-50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक तक	0-50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक तक					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1.	क	1- कालावड़	नगरीय	400	390	380	5000	4500	4200	17000	44000	42000	12000	10000
		2- काशीरामपुर												
		3- नयानांव												
2	ख	1- गाड़ीघाट चक नं० 1	नगरीय	360	350	340	4200	4000	3800	16200	37000	36000	12000	10000
		2- गाड़ीघाट चक नं० 2												
		3- पनियाली तल्ली												
		4- जौनपुर												

तहसील कोटद्वार, के अन्तर्गत नगर पालिका दुगडडा के नगरीय क्षेत्र

सामान्य दर (BASE RATE)														
क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)												
		कृषि भूमि (प्रति हे०) दर लाख रू० में	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रतिवर्गमीटर) रू० में (मार्ग से दूरी के आधार पर)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रू० में	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रू० में	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रतिवर्गमीटर रू० में					
			0-50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक					0-50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	प्रथम श्रेणी (एकका)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1.	क	राष्ट्रीय राजमार्ग (बदीनाथ मार्ग)	नगरीय	-	-	-	1200	1000	900	13200	34000	31000	12000	10000
		1-धनीराम बाजार 2-कमला नेहरू मार्ग 3-मोती बाजार 4-सुभाष बाजार 5-विकास कॉलोनी 6-बहेडी												


 (चन्द्र शास्त्र भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील कोटद्वार, के अन्तर्गत समस्त अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की न्यूनतम दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सानान्य दर (BASE RATE)										
				कृषि भूमि (प्रति हे०) दरें लाख रु० में			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रतिवर्गमीटर) रु० में			बहुसंख्यतीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय		वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रु० में		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रतिवर्गमीटर रुपये में
				0-50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	0-50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	प्रतिवर्गमी० रु० में	दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक (प्रकार)	क्षेत्रीय द्वितीय (कच्चा)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1.	क	1- सितावपुर (सुखरी) 2- कौहिया 3- मानपुर 4- शिङ्गुनगर 5- पदमपुर	अर्द्ध-नगरीय	190.00	180.00	170.00	2500	2400	2300	14500	38000	34000	12000	10000
2.	ख	1- सिमलवाड़ (सुखरी) 2- शिवपुर 3- काशीरामपुर 4- कालावाड़	अर्द्ध-नगरीय	170.00	160.00	150.00	2100	2000	1800	14100	36000	32000	12000	10000
3.	ग	1- बलभद्रपुर (सुखरी) 2- बालासौड़ 3- रतनपुर 4- हरसिंहपुर	अर्द्ध-नगरीय	150.00	140.00	135.00	1900	1800	1600	13900	32000	28000	12000	10000
4.	घ	1- धुवपुर (सुखरी) 2- निम्बूवाड़ (मोटावाक)	अर्द्ध-नगरीय	115.00	110.00	105.00	1600	1500	1300	13600	31000	26000	12000	10000
5	ङ	1- लालपुर (सुखरी) 2- गारुट-नागज (सानेह) 3- कुम्भीवाड़	अर्द्ध-नगरीय	95.00	85.00	82.00	1200	1100	1000	13200	30000	25000	12000	10000

तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की न्यूनतम दरें

			सामान्य दर (BASE RATE)											
क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मौहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	कृषि भूमि (प्रति हे०) दरें लाख रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर) 0-50 मी० तक 50-200 मी० तक 200 मी० अधिक तक	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मीटर) रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर) 0-50 मी० तक 50-200 मी० तक 200 मी० अधिक तक	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०) रु० में	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०) रु० में	अन्य वाणिज्यिक भवन (प्रत्येक) रु० में	ग्राम की दर प्रमुखमौहल्ले में	द्वितीय श्रेणी (कच्चा)				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	क	(मोटाका) 1-घमण्डपुर 2-पदमपुर 3-हुगापुर "	ग्रामीण	125.00	115.00	110.00	1600	1500	1300	13600	30000	28000	12000	10000
2	ख	(हल्का) 1-श्रीरामपुर 2-रामदयालपुर 3-जयदेवपुर 4-लोकावनीपुर 5-दलीपपुर 6-भवानीपुर 7-गन्धारियाखाल 8-मनदेवपुर 9-उमरावपुर 10-चैलीवाड़ा 11-बालागंज 12-लूथापुर 13-लछमपुर 14-मानपुर 15-कनलमगंज 16-कोटद्वारागंज (समेत)	ग्रामीण	90.00	85.00	80.00	950	900	850	12950	22000	20000	12000	10000

	17-रतनपुर 18-जीतपुर	ग्रामीण	90.00	85.00	80.00	950	900	850	12950	22000	20000	12000	10000
3	ग 1-हल्दुखाता तल्ला (मोटदाक) 2-पूर्वा झण्डीघाट 3-परिचमी झण्डीघाट (हल्दुखाता) 4-उत्तरी झण्डीघाट 5-भूपदपुर 6-किशनदेवपुर	ग्रामीण	82.00	80.00	75.00	900	850	800	12900	20000	18000	12000	10000
4.	घ 1-नाथपुर (सनेह) 2-तालपानी वल्ली 3-तालपानी पल्ली 4-रामपुर 5-कोटडीदाक 6-सनेह मल्ली 7-सनेह तल्ली 8-विशनपुर	ग्रामीण	65.00	55.00	50.00	800	700	650	12800	20000	18000	12000	10000
5.	ङ 1-जीवानन्दपुर (मोटदाक) 2-शिवराजपुर 3-रूनीबड़ 4-देवरामपुर 5-मवाकोट 6-नन्दपुर 7-हल्दुखातामल्ला (हल्दुखाता) 8-किशनपुर 9-जशोधरपुर 10-मंगनपुर	ग्रामीण	95.00	90.00	85.00	1200	1100	1000	13200	30000	28000	12000	10000
6.	च 1-मीमसिंहपुर (मोटदाक) 2-उदयशमपुर 3-उदयशमपुर नयाबाद	ग्रामीण	80.00	70.00	65.00	850	800	720	12850	26000	24000	12000	10000

	4- त्रिलोकपुर 5- सत्सीवाई 6- गोरखपुर 7- कोठला, 8- चौकीघाटा	" " " " "	ग्रामीण	80.00	70.00	65.00	850	800	720	12850	26000	24000	12000	10000
7.	छ 1- आमसौड 2- ऐला 3- फतेहपुर मल्ला 4- फतेहपुर तल्ला 5- गोदी बडी 6- गोदी छोटी 7- भेल्ला बडा 8- जमरगड्डी तल्ली 9- साझासैण 10- चोपडा लगा भदाली	(सीला) " " " " " " " " "	ग्रामीण	30.00	28.00	26.00	450	400	350	12450	17000	16000	12000	10000
8.	ज (पट्टी सीला, तहसील कोटद्वार) 1- जमरगड्डीमल्ली 2- झवाणसार 3- धरियालसार 4- जोमयाणा 5- पन्देरासार 6- झवाणा 7- चोपडालगा उमरैला 8- उमरैला मल्ला, 9- उमरैला तल्ला, 10- महरगांव, 11- कैथोगी,		ग्रामीण	28.00	26.00	25.00	380	350	300	12380	16000	15000	12000	10000

12-बोरगांव लगा कैथोनी,	ग्रामीण	28.00	26.00	25.00	380	350	300	12380	16000	15000	12000	10000
13-सरुडा लगा जोमयाणा,												
14-पलेटा,												
15-मेल सरुडा,												
16-सुनारगांव,												
17-बहेडी,												
18-सिरसू,												
19-खनबड़,												
20-केशुपुरा,												
21-मेरवा,												
22-जुगरसैण,												
23-भदाली तल्ली,												
24-घोटा मल्ला,												
25-घोटा तल्ला,												
26-उमल्दा,												
27-अमखोली,												
28-काण्डा,												
29-बोरगांव,												
30-मैङगांव,												
31-मेलडा छोटा,												
32-नाथपुर,												
33-जोमयाणा,												
34-सिमलचौड												

9.	झ	प्रमीण	27.00	22.00	20.00	300	280	250	12300	15000	14000	12000	10000
	(पट्टी लंगूर, तहसील कोटद्वार 1-उडियासी 2-बैशोखी 3-बनाली. 4-काण्डा. 5-बिरसाना, 6-सोनोमी, 7-नड्डा, 8-बडेध, 9-रिटुड़. 10-महरगांव, 11-लंगूर पल्ला, 12-हथनूड, 13-कडासू, 14-बछेली, 15-भलगांव, 16-वनकपडी, 17-मदनपुर, 18-जवाड़, 19-जोनयाणा (पट्टी डनरालसू तहसील कोटद्वार) 1-जल्ला, 2-स्यालना, 3-छावर, 4-कण्डवाण, 5-खनपट्टी, 6-हल्लुआ, 7-चमरसूल 8-कटूड 9-जामल												

	10-नारा, 11-गहली, 12-सिमली, 13-जौली, 14-डंगला, 15-अमालू, 16-अमाडी, 17-खेडा, 18-डवाली	ग्रामीण	27.00	22.00	20.00	300	280	250	12300	15000	14000	12000	10000
10.	अ (फट्टी अजमेर तहसील कोटद्वार) 1-उर्तिछा 2-घरेख 3-मुलिण्डा, 4-घुराताल, 5-कैलाखर, 6-रामडी, 7-गौजेटा, 8-तछियाली, 9-मिंटाला, 10-स्यालिंगा, 11-काटल, 12-ईडा तल्ला, 13-ईडा मल्ला, 14-ईडा बडा, 15-काण्डई, 16-मीराला, 17-गहड, 18-चौण्डली, 19-घरगांव, 20-वल्ली	ग्रामीण	20.00	18.00	16.00	280	250	230	12280	14000	13000	12000	10000

[illegible]

(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी, गाढ़वाल

ताहसील यमकेश्वर / कोटद्वार के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मौहल्ले / राजस्व ग्रामों की क्षेत्री	प्रमुख मार्ग / मौहल्ला / राजस्व ग्रामों क्षेत्र	सामान्य दर (BASE RATE)											
			कृषि भूमि (प्रति हे०) दरें लाख रु० में				अकृषि भूमि / सामग्री (प्रति वर्गमीटर) रु० में				बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमी०) रु० में	वाणिज्यिक भवन (सुपर प्रति वर्गमी०) रु० में	अथवा रिस्टोरेन्ट / कार्यालय प्रति वर्गमी०	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रति वर्गमीटर (वक्का) क्षेत्री (कच्चा)
			0-50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	0-50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	से					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1.	क	कैम्प कार्यालय (जिलाधिकारी) से भीता भवन गेट नं० 1 व 5 तक 1-लक्ष्मणझूला 2-रामझूला 3-स्वर्गाश्रम 4-जोंक	नगरीय	320	300	280	5000	4500	4200	17000	45000	42000	12000	10000
2.	ख	नीलकण्ठ मार्ग 1-मराल (घट्टघाट) 2-पुण्ड्रारसू 3-मोन चल्ता 4-मोन पल्ता 5-जोरायाणा 6-कोटार 7-तौली 8-मादसी 9-तलाई 10-रत्नापानी 11-छैरखाल	ग्रामीण	40.00	38.00	36.00	550	500	450	12550	22000	20000	12000	10000

3.	ग	दुगडडा-कांडी-लक्ष्मणझूला मार्ग	ग्रामीण	42.00	40.00	38.00	500	450	430	12500	21000	18000	12000.	10000
		1-दुगडडा												
		2-मटियाली												
		3-कांडाखाल												
		4-कटुडधार												
		5-पौखाल												
		6-नालीखाल												
		7-कस्याली												
		8-भुगुखाल												
		9-कांडी												
		10-ठांगर												
		11-विथ्यापी												
		12-दमराडा												
		13-यमकेश्वर												
		14-बडोली												
		15-सिलडी जामल												
		16-कुलेथा												
		17-तिलधारखाल												
		18-तुगखाल												
		19-अमोला												
		20-डांडादमराडा												
		21-पोखरी												
		22-भडेथ												
		23-गन्डकिया												
		24-मागथा												
		25-खेडा												
		26-बिनक पोखरखाल												
		27-कल्डाकोट												
		28-उमडा												
		29-दउली												
		30-इहिया												

31-खैरखाल	ग्रामीण	42.00	40.00	38.00	500	450	430	12500	21000	18000	12000	10000
32-गरुडघट्टी												
33-गंगामोगपुर												
34-कौड़िया												
35-बडास												
36-कांडाखाल												
37-किमसार												
38-रामजीवाला												
39-तौली												
40-भदासी												
41-तलाई												
42-कोढार												
43-मोहनघट्टी												
44-गैन्डाखाल												
45-उमरौली (उदयपुर)												
46-घोतिया (जीक)												


 (चन्द्र शेखर भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल

तहसील कोटद्वार / यमकेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों की न्यूनतम दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मौहल्ले / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)											
			क्षेत्र	कृषि भूमि (प्रति हे०) दरें लाख रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर)			अकृषि भूमि / सम्भलित (प्रति वर्ग मीटर) रु० में (मार्ग से दूरी के आधार पर)			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित (सुपर एरिया फ्लैट प्रति वर्ग मी०) रु० में	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रतिवर्गमी०) रु० में	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रतिवर्गमीटर	प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी (कच्चा)	
				0-50 तक	50 मी० से 200 तक	200 मी० से अधिक	0-50 तक	50 मी० से 200 तक	200 मी० तक अधिक					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	क	1- गूम (पीछाल) 2- डाडामण्डी 3- पट्टु अकरा 4- कलौड़ी 5- बाँठा 6- बिरमोली 7- जवाड़ 8- कटुड़ 9- बिरमोलीखाल	ग्रामीण	40.00	37.00	35.00	500	450	400	12500	18000	16000	12000	10000
2	ख	1- नालीखाल 2- नाथूखाल 3- भवासी 4- गवयीपुल 5- रामडी बल्ली 6- कोटद्वार से रामगानांव मार्ग	ग्रामीण	30.00	25.00	22.00	380	350	300	12380	17000	16000	12000	10000
3	ग	1- नाली बड़ी 2- नाली छोटी 3- नाली बड़ोली	ग्रामीण	10.00	8.00	7.00	170	160	150	12170	16000	15000	12000	10000

4	घ	1- गंगा भोगपुर तल्ता 2- गंगा भोगपुर मल्ता	ग्रामीण	18.00	14.00	12.00	280	260	250	12280	16000	15000	12000	10000
5	ड.	(पट्टी उदयपुर तहसिल यमकेश्वर) 1-करयाली, 2-पहरीसार, 3-थान, 4-निषणी, 5-तूना, 6-ऐरेली, 7-खोबर, 8-कोटकिण्डा, 9-बिस्सी, 10-जयहरी मल्ली, 11-जयहरी तल्ली, 12-कोलसी, 13-अमगांव, 14-वाडी, 15-घोपडा, 16-डाण्डा बिनक, 17-धनूर, 18-हिण्डा लगा शीला, 19-बोरगांव, 20-बडूण, 21-बधेलगांव, 22-मलेशा, 23-राजसेरा, 24-ठांगर, 25-बोरगांव लगा अमगांव, 26-तुगाधार, 27-तुगा हलद्वारी.	ग्रामीण	12.00	10.00	8.00	300	280	250	12300	16000	15000	12000	10000

26-तुंगाधार,									
27-तुंगा हलद्वारी,									
28-तुंगा संकरा,									
29-तुंगा अकरा,									
30-सीला,	ग्रामीण	12.00	10.00	8.00	300	280	250	12300	16000
31-पंचुर,									
32-फेडुवा,									
33-गाजसेरा,									
34-तिलकरियासेरा									
लगा काण्डी,									
35-दालमीसेरा,									
36-गलीवण,									
37-टिंगावाज,									
38-तिलकरियासेरा									
लगा सीला,									
39-जियादमराडा,									
40-उनियाल दमराडा,									
41-चाई दमराडा,									
42-पिपरीली,									
43-आसौदमराडा,									
44-डाडादमराडा,									
45-अमोला,									
46-बलुनीडांडा,									
47-जामलीगांव,									
48-गडेव,									
49-रैनावाडी,									
50-गंगासलाण									
51-तल्ला सलाण									

6	च	(प्रदटी तल्ला ढांगू तहसील यमकेश्वर) 1-विजनी छोटी, 2-विजनी बड़ी, 3-जोगयाणा(तल्ला ढांगू-1) 4-तिलयालगांव, 5-पलियालगांव, 6-धुनारगांव, 7-माला, 8-नकुरवी, 9-कोटा, 10-सिरासू, 11-गैण्ड, 12-सिन्धी, 13-जुकाला, 14-श्रीकोट, 15-नांद, 16-उक्काकोट, 17-कुण्ड, 18-नौड, 19-ढौर, 20-धारी, 21-दासी, 22-पापडी, 23-जसकोट, 24-खैडा, 25-कूला, 26-झेंड, 27-डडोली।	ग्रामीण	10.00	8.00	6.00	330	300	250	12330	15000	14000	12000	10000
---	---	---	---------	-------	------	------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

7	छ	(पट्टी अजमेर तहसील यमकेश्वर)												
		1-ताछला, 2-अमोला, 3-उलिवाल लगा अमोला, 4-चितमा, 5-कचुन्डा, 6-देवराना	यामीण	10.00	8.00	7.00	350	300	250	12300	15000	14000	12000	10000


 (चन्द्र शेखर भट्ट)
 जिलाधिकारी, गढ़वाल